कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/30/2024

श्री सतीश चन्द आसोपिया निवासी गली नं. 8, शिवाजी नगर, आदर्श नगर, अजमेर पिन 305001 मो. नं. 8824269736

....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 28.06.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री सतीश चन्द आसोपिया निवासी गली नं. 8, शिवाजी नगर, आदर्श नगर, अजमेर जिला अजमेर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/397 दिनांक 10.06.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के पत्रांक रसद/आरटीआई/24/113 दिनांक 14.06.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दुवार सूचना चाही गई है जिसका जबाब प्रार्थी को कार्यालय से जरिये पत्रांक आरटीआई/2024/109 दिनांक 21.05.2024 से सूचित किया जा चुका है।

2......

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2024 / 30
सतीश चन्द आसोपिया बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी / अपीलान्ट को जबाब दिया जा चुका है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बिंत नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर